राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 290/2018...जिला...........हनुमानगढ़......................................

उनवान – मैसर्स नवदुर्गा इण्ड0 संगरिया, हनुमानगढ़ बनाम 1. अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर 2. सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष** **श्री के.एल.जैन, सदस्य**	
04.04.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल पोखरणा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के पारित आदेश दिनांक 22.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.06.2017 द्वारा सृजित मांग राशि रुपये 65,32,802/– में से वसूली योग्य राशि 50,32,802/– की वसूली को स्थगित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार किया गया है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। अतः उन्होनें मांग राशि रुपये 50,32,802/– को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक स्थगित करने का निवेदन किया। उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुये अपीलार्थी की यह अपील खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा की गई खरीद पर उसके संबंधित विक्रेता व्यवसायी द्वारा देय कर का भुगतान नहीं किया गया है एवं उनके संव्यवहारों की वास्तविकता भी संदेहास्पद है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रुपये 50,32,802/– में से कर राशि रुपये 9,15,350/– एवं 3,76,604/– तथा ब्याज 3,64,990/– जमा कराने की शर्त पर अवशेष राशि की वसूली की **लगातार................2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 290/2018..जिला...........हनुमानगढ़..

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2018	कार्यवाही पर इस शर्त पर रोक लगाई जाती है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के समक्ष उनके संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (Adequate Security) इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त् समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **तीन माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील की सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर	